

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार)
अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र
(सितंबर, 2024 से प्रभावी)

1. (क) संस्था का संचालन : (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

- व्यक्ति द्वारा
- ट्रस्ट द्वारा
- सोसाइटी द्वारा

ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा प्रशासित संस्थाओं को एनजीओ दर्पण पोर्टल द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट आईडी प्रस्तुत करना आवश्यक है (पोर्टल [युआरएल: http://ngo.india.gov.in](http://ngo.india.gov.in))। फॉर्म में दिए गए विवरण एनजीओ दर्पण के संबंधित विवरण से मेल खाने चाहिए। (व्यक्ति द्वारा संचालित संस्था के लिए लागू नहीं)।

क. संस्था का नाम एवं पता

- ख.** यूडीआईएसई/एआईएसएचई कोड
- ग.** यूडीआईएसई पोर्टल पर रिपोर्ट कार्ड की प्रति
- घ.** संस्था की स्थापना का वर्ष
- ड.** ट्रस्ट / सोसाइटी के पूर्ण डाक पते के साथ नाम (यह पता ट्रस्ट / सोसाइटी द्वारा एनजीओ दर्पण पर उपलब्ध कराए गए तदनुरूपी विवरण से मेल खाना चाहिए)।
- च.** व्यक्ति का विवरण / ट्रस्ट / सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव का विवरण

- नाम
- डाक का पता (पिन कोड के साथ)
- संपर्क नंबर
- ई-मेल आईडी

छ. संस्थापक सदस्यों / मुतवालियों / ट्रस्टियों के नाम और पते और उनका धर्म

ज. वर्तमान ट्रस्टियों / मुतवालियों / शासी निकाय के सदस्यों के नाम और पते और उनका धर्म

2. क्या आवेदक संस्था धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित की गई है? धर्म का प्रमाण संलग्न करना होगा (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

मुस्लिम	ईसाई	सिख	जैन	बौद्ध	पारसी
---------	------	-----	-----	-------	-------

3. क्या आवेदक संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकारी के पास आवेदन किया है? यदि हाँ, तो आवेदन की स्थिति प्रस्तुत करें। (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

- क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन राज्य प्राधिकारी के पास लंबित है?
- क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया है (यदि हाँ, तो आवेदक को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के तहत आवेदन करना होगा)।
- अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र पहले से ही प्रदान किया जा चुका है।

4. क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें : (एनओसी के लिए दिए गए आवेदन की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक है)

क. आवेदन की तिथि

ख. पावती / तामील होने का प्रमाण

ग. आवेदन की स्थिति: (उपयुक्त पर निशान लगाएँ)

(i) आवेदन लिखित है

क्या सक्षम प्राधिकारी को अनुस्मारक भेजे गए हैं, यदि हां, तो तारीख बताएं (इस संबंध में अनुस्मारक और प्राप्त उत्तरों की प्रति, यदि कोई हो, भी संलग्न करना आवश्यक है)।

(ii) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र

(iii) क्या आवेदन खारिज कर दिया गया है? (यदि हाँ, तो आवेदक को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के तहत आवेदन करना होगा)।

5. क्या आवेदक संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कभी एनसीएमईआई के पास आवेदन किया है? यदि हां, तो कृपया संदर्भ संख्या प्रस्तुत करें। (आयोग के अंतिम आदेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक है)

(i) क्या कानूनी प्राधिकारी द्वारा आवेदक संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा किसी भी समय वापस ले लिया गया है / रद्द कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रदान करें।

(ii) क्या संस्था की स्थापना के बाद उसके नाम या स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है और यदि ऐसा है, तो कृपया विवरण प्रदान करें।

(iii) क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय सहित किसी न्यायिक मंच से संपर्क किया गया है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें और बताएं कि वर्तमान स्थिति क्या है?

6. संस्था से संबंधित विवरण

शिक्षा का स्तर: (उपयुक्त पर निशान लगाएँ)

- मदरसा
- प्राइमरी
- सेकेंडरी
- हायर सेकेंडरी
- उच्च शिक्षा
 - सामान्य डिग्री
 - तकनीकी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शामिल हैं / अन्य (कृपया स्ट्रीम निर्दिष्ट करें)

(क) पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए मौजूदा शिक्षकों / संकायों और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की संख्या, जहां लागू हो

	शैक्षणिक वर्ष में शिक्षकों / संकायों और छात्रों की संख्या -							कुल
	मुस्लिम	ईसाई	सिख	जैन	बौद्ध	पारसी	(हिंदू)	क+ख+ग
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	+ अन्य (छ)	घ+ड+च+छ
शिक्षक / संकाय								
छात्र								

7. (i) क्या आवेदक संस्था का ट्रस्ट / सोसाइटी भारतीय पंजीकरण अधिनियम / सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है?

7 (ii) ट्रस्ट / सोसायटी के लिए निम्नलिखित संलग्न करना आवश्यक है :

- पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
- एमओए / न्यास विलेख की प्रति
- संशोधित एमओए / न्यास विलेख (यदि कोई हो) की प्रति

7 (iii) व्यक्ति के लिए निम्नलिखित संलग्न करना आवश्यक है :

- पहचान का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- पिछले तीन वर्षों की आईटीआर (यदि लागू हो)
- संस्था का दस्तावेजी साक्ष्य (स्वत्वाधिकार या कब्जा)

8 या तो केंद्रीय / राज्य बोर्ड या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी से संबद्ध होने का विवरण (संबद्धता की प्रति संलग्न करें)

- संबद्धता की तिथि
- कब तक वैध है

9. नियामक संस्था द्वारा मान्यता का विवरण (तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान के लिए लागू)

- नियामक संस्था का नाम
- मान्यता कब तक वैध है
- उसी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरण जिन्हें आयोग द्वारा एमएससी प्रदान किया गया है:
- उसी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरण जिसका मामला चल रहा है

10. क्या संबंधित संबंधक / नियामक संस्था द्वारा संस्था को कभी विमान्य किया गया है?

11. क्या संस्था अनुदानित है अथवा गैर अनुदानित है?

घोषणा

मैं, प्रधान / अध्यक्ष / सचिव ट्रस्ट / सोसाइटी की ओर से इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर प्रदान किए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं और यह कि सत्यापन / निरीक्षण पर यदि कोई ब्यौरा झूठा पाया जाता है, तो आयोग संस्था को प्रदान किया गया अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र निरस्त कर देगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

स्थान:

तारीख:

प्रधान / अध्यक्ष / सचिव
(संस्था के लिए और इसकी ओर से)

कृपया नोट करें:

1. अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरे गए आवेदन पत्र के पांच सेट जमा करने होते हैं।
2. आयोग भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आवेदन पर विचार नहीं करता है।
3. ऐसी आवेदक संस्था जिसका एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत अनाप्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो आवेदक को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के अनुसार आवेदन करना होता है।
4. ऐसी आवेदक संस्था जिसका एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, उसे अपील दाखिल करने के लिए प्रक्रिया नियमावली, 2006 के नियम 4 अनुसार आवेदन करना होता है।
5. याचिका दायर करने पर, याचिकाकर्ता के लिए पंजीकृत / एडी द्वारा प्रतिवादियों और याचिकाकर्ता को संचार भेजने के लिए विधिवत रूप से टिकट लगा लिफाफा संलग्न करना आवश्यक है।

फॉर्म नंबर 1

[अपील दाखिल करने के लिए प्रक्रिया नियमावली, 2006 का नियम 4 देखें]
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की
धारा 12ए (1) और 12बी (1) के तहत अपील का ज्ञापन

आयोग के कार्यालय के प्रयोग के लिए

दायर करने की तिथि
डाक से प्राप्त होने की तिथि
पंजीकरण नंबर

(सचिव के हस्ताक्षर)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग में

..... अपीलकर्ता
..... प्रतिवादी

अपील का ब्यौरा :

1. (क) संस्था का नाम एवं पता
(ख) ट्रस्ट / सोसाइटी के अध्यक्ष / सचिव का नाम और पता
2. क्या अपीलकर्ता संस्था का दावा धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक पर आधारित है?
3. आवेदक संस्था किसके द्वारा स्थापित या प्रशासित है :
(क) धार्मिक अल्पसंख्यक, या
(ख) भाषाई अल्पसंख्यक
4. नोटिस भेजने के लिए पता सहित प्रतिवादी (प्रतिवादियों) के विवरण
5. अपील के अधीन आदेश का विवरण :
(i) आदेश संख्या
(ii) आदेश की तिथि
(iii) उस प्राधिकारी का नाम, जिसके आदेश को अपील में चुनौती दी गई है
6. सीमा - अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि यह अपील अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है।
7. मामले के तथ्य और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश - मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :
(यहां तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के खिलाफ अपील के आधार प्रदान करें)
8. मामला किसी अन्य आयोग, आदि के पास लंबित नहीं है - अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि जिस मामले के बारे में यह अपील की गई है, वह कानून किसी के आयोग या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

9. मांगी गई राहत - उपरोक्त पैरा 8 में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर, अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करता है : (कृपया नीचे अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत के बारे में बताएं)

10. अनुक्रमणिका का ब्यौरा - डुप्लिकेट में अनुक्रमणिका संलग्न है जिसमें ऐसे दस्तावेजों का विवरण है, जिन पर भरोसा किया जाना है।

11. संलग्नकों की सूची :

सत्यापन

मैं, (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री
..... इसके द्वारा यह सत्यापित करता / करती हूँ कि पैरा 1 से 11 की सामग्री
मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैंने कोई सारवान तथ्य नहीं छिपाया है।

तिथि
स्थान

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर